30/8/22 आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/9/22 को पेश हो।

2/9/22 आज पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/9/22 को पेश हो।

9/9/22 अभिभाषकगण उपस्थित, जवाब राज्यपक्ष प्रस्तुत, शामिल पत्रावली हो। आज पीठासीन अधिकारी [illegible] पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/9/22 को पेश हो।

14/9/22 अभिभाषकगण उपस्थित, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर जारी किया गया, पार्टी द्वय द्वारा शुल्क प्रस्तुत कर उक्त पर्चा जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया, उक्त पर्चा जारी किया जाता है। पत्रावली नत्थीबद्ध हो। पत्रावली दाखिल पंजिका के क्रम से कम की जाकर निर्णय की सूची में शामिल हो।

A2
2

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री मनोज कुमार मीना , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 043 / 2022
अन्तर्गत धारा 88,91,188,92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. प्रदीप सिंह पुत्र त्रिलोचन सिह जाति रामगढिया सिख आयु करीब 30 वर्ष निवासी 20 जी जी तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरप्रीत सिंह पुत्र त्रिलोचन सिंह जाति रामगढिया सिख आयु करीब 27 वर्ष निवासी 20 जी जी तह0 व जिला श्रीगंगानगर। **....वादीगण**

व ना म

1. त्रिलोचन सिंह पुत्र स्व0 गुरबचन सिह जाति रामगढिया आयु करीब 63 वर्ष निवासी 20 जी जी तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. रणजीत कौर पुत्री त्रिलोचन सिह पत्नी सतनाम सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 20 जी जी तह0 व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद धरंगावाली तह0 करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. परमजीत कौर पुत्री त्रिलोचन सिह, पत्नी अंग्रेज सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 20 जी जी तह0 व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद पीलीबंगा तह0 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. चरणजीत कौर पुत्री त्रिलोचन सिह, पत्नी हरविन्द्र सिह जाति रामगढिया निवासी चक 20 जी जी तह0 व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी 35 आर बी तह0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर। **...प्रतिवादीगण**

उपस्थित–	श्री रणजीत सारडीवाल	(वादीगण)
	श्री अरविन्द जाखड़	(प्रतिवादी 1–4)
	श्री राज पैरोकार	(प्रतिवादी 5)

दिनांक 14 सितम्बर, 2022

–निर्णय–

वादीगण के दादा स्व0 गुरबचन सिंह पुत्र खेता सिंह रामगढिया को अपने पूर्वजों से मिली हुई कृषि भूमि चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 12 / 13 मु0 नं0 29 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 कुल 4 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी दर्ज थी। जमाबंदी संवत 2044 की नकल शामिल है। वादीगण के दादा गुरबचन सिंह ने परिवार में सदभाव बना रहे को देखते हुए उपरोक्त भूमि को मुंतकिल कर इसकी आय से अर्थात् पूर्वजों से मिली भूमि की आय से वादी के पिता के नाम से भूमि क्रय कर वादी के पिता के नाम दर्ज करवायी जैसा कि चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर जमाबंदी संवत् 2044 के खाता सं0 11 / 12 में जोगेन्द्र सिंह 19–1 / 2 हिस्सा, अमोलक सिंह 20 हिस्सा, त्रिलोचन सिंह 20 हिस्सा दर्ज है। जमाबंदी की नकल शामिल है। वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 ने जिसके नाम से उपरोक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 4 के संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता व मैनेजर के रूप में जद्दी व अविभाजित सम्पति के रूप में दर्ज चली आयी तथा वादीगण भी अपने पिता के साथ मिलकर भूमि काश्त करते रहे तथा इसकी आय से अन्य भूमि भी बनायी गई तथा इस समस्त जद्दी की आय से प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के विवाह किये गये तथा विवाह में उनको काफी स्त्रीधन भी दिया गया, इस प्रकार से उनकी हकरसी हो जाने के कारण उनके द्वारा अपना–अपना हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 के हक में रूबरू पंचायत मौखिक परिवारिक समझौता के द्वारा परित्याग कर

A2/3

दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का उक्त रकबा पर कभी कब्जा नहीं रहा है, अतः प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान में निम्नलिखित कृषि भूमि खातेदारी दर्ज है। जिसमें प्रत्येक वादी का 1/3 हिस्सा बनता है। चक 1 एल एल पटवार हल्का बुर्जवाली तह0 श्रीगंगानगर के खाता संख्या 9/10 मु0 नं0 4, 5 की 8.070 है0 में से 1/3 हिस्सा। चक 1 एल एल पटवार हल्का बुर्जवाली तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 69/51 मु0 नं0 4, 5 की 3.212 है0 में से 183/1606 हिस्सा दर्ज है। दोनों खातों की जमाबंदी की नकलें शामिल है, कब्जा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त रूप से उपरोक्त भूमि पर चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 कुछ गलत लोगों के प्रभाव में आया हुआ है तथा वह उपरोक्त दोनों खातों की भूमि को राजस्व रिकार्ड में उसके नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर मुंतकिल करने के प्रयास में है लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया है तथा किसी भी समय भूमि को मुंतकिल कर वादीगण को स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से जबरन बेदखल कर सकता है, अतः वादीगण के लिए दावा हाजा लाना अपने अधिकारों की घोषणा करवाना व राजस्व रिकार्ड में रकबा खातेदारी दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है तथा डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी करवाना आवश्यक हो गया है। वादीगण ने प्रतिवादी से बार-बार आग्रह किया कि वह उपरोक्त दोनों खातों की भूमि में वाद पत्र में अंकित उपरोक्त कारणों से प्रत्येक वादी को 1/3 हिस्सा अर्थात् कुल 2/3 हस्सा का खातेदार काश्तकार हकदार मानकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये तथा बिना खाता विभाजन करवाये किसी को रहन बैय मुंतकिल करने, वादीगण को बेदखल करने से बाज व ममनु रहे मगर प्रतिवादी संख्या 01 लालचवश होने से व गलत लोगों के प्रभाव में होने से टालमटोल करते हुए दिनांक 10.05.2022 को साफ इंकारी है। उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान् न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। अतः दावा वादी काबिल समाअत अदालतवाला है तथा उचित न्यायशुल्क पर पेश है। प्रतिवादी संख्या 05 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार है। दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे- (क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि- 1. चक 1 एल एल पटवार हल्का बुर्जवाली तह0 श्रीगंगानगर के खाता संख्या 9/10 मु0 नं0 4, 5 की 8.070 है0 में से 1/3 हिस्सा। 2. चक 1 एल एल पटवार हल्का बुर्जवाली तह0 श्रीगंगानगर के खाता संख्या 69/51 मु0 नं0 4, 5 की 3.212 है0 में से 183/1606 हिस्सा दर्ज भूमि में से वाद पत्र में अंकित कारणों से प्रत्येक वादी 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हकदार है तथा वादीगण के नाम से दोनों खातों में 2/3-2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे, मामला लगान कायम किया जावे। (क) डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावे कि प्रतिवादी संख्या 01, चक 1 एल एल पटवार हल्का बुर्जवाली तह0 श्रीगंगानगर के खाता संख्या 9/10 मुरब्बा नं0 4, 5 की 8.070 है0 में से 1/3 हिस्सा व चक 1 एल एल पअवार हल्का बुर्जवाली तह0 श्रीगंगानगर के खाता संख्या 69/51 मु0 नं0 4, 5 की 3.212 है0 में से 183/1606 हिस्सा बिना खातों का विभाजन करवाये किसी भूमि को रहन, बैय, मुंतकिल करने, वादीगण को उनके हिस्सा की भूमि से स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से जबरन बेदखल करने से बाज व ममनु रहे।

दिंनाक 15.06.2022 को पक्षकारान द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा मय शपथ पत्र एवं अपने अपने पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई वादीगण की शिनोख्त वादीगण अधिवक्ता श्री रणजीत सारडीवाल एंव प्रतिवादीगण की शिनाख्त प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री अरविन्द जाखड़ द्वारा की गई। अतः राजीनामा के तथ्यो के अनुसार प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजूज व्यक्तियों ने प्रथम पक्षकारान एवं द्वितीय पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। पंचायत ने वादीगण एंव प्रतिवादीगण को आपसी सहमति से मौखिक बंटवारानामा अनुसार किया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने पास अपने हिस्से की 1/3 हिस्सा कृषि भूमि रख ली है तथा प्रतिवादिया संख्या 2 ता 4 ने अपनी सहमति रजामन्दी कर अपना हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में बिना प्रतिफल छोड़ते हुए अपने हिस्से का परित्याग कर दिया था

कलक्टर एव
क दण्डनायक

A2
4

था उसी मौखिक बंटवारानामा के आधार पर वादाधीन रकबा वादीगण के नाम से /3 हिस्सा खातेदारी दर्ज करने के लिये मौखिक बंटवारानामा अनुसार निम्न प्रकार े निम्न प्रकार से बंटवारा किया गया हैं:– (1) चक 1 एल एल के खाता सं0 9/10 के मुरब्बा नं0 4 में 5.857 है0 नहरी, मुरब्बा नं0 5 में 2.213 है0 नहरी कुल रकबा 8.070 है0 नहरी भूमि में 1/3 हिस्सा (अर्थात् 0.366 है0), (2) चक 1 एल एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 69/51 के मुरब्बा नं0 4 में 0.468 है0 नहरी भूमि तथा मुरब्बा नं0 5 में 2.744 है0 नहरी अर्थात् कुल रकबा 3.212 है0 नहरी भूमि में हिस्सा 183/1606 (अर्थात् 0.366 है0)। इस प्रकार से उक्त वर्णित चक 1 एल एल तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 9/10 तथा खाता संख्या 69/51 की कृषि भूमि में वादीगण प्रदीप सिंह–गुरप्रीतसिंह पिसरान त्रिलोचनसिंह प्रत्येक के नाम से 1/3, 1/3 हिस्सा कुल 2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज की जाकर प्रतिवादी संख्या 01 त्रिलोचनसिंह पुत्र स्व0 गुरबचनसिह का वादीगण के हिस्सा तक कलमजन करके राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें।

दिनांक 09.09.2022 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 1 एल एल पटवार हल्का बुर्जवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 एवं नामान्तकरण संख्या 144 दिनांक 25.08.1988 चक 5 जी छोटी पटवार हल्का 5 जी छोटी भू–अभिलेख क्षेत्र गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि का पैतृक होना सिद्व होता है। प्रस्तुत बहस का मनन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझोता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, मााननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है, इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में राजीनामा नैयायिक प्रकरणों के निस्तारण का एक सुदृढ वैकल्पिक साधन/तरीका है।

आदेश

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 त्रिलोचन सिंह पुत्र स्व0 गुरबचन सिह के नाम दर्ज भूमि चक 1 एल एल के खाता सं0 9/10 के मुरब्बा नं0 4 में 5.857 है0 नहरी, मुरब्बा नं0 5 में 2.213 है0 नहरी कुल रकबा 8.070 है0 नहरी भूमि में 1/3 हिस्सा (अर्थात् 0.366 है0) तथा खाता संख्या 69/51 के मुरब्बा नं0 4 में 0.468 है0 नहरी भूमि तथा मुरब्बा नं0 5 में 2.744 है0 नहरी अर्थात् कुल रकबा 3.212 है0 नहरी भूमि में हिस्सा 183/1606 (अर्थात् 0.366 है0) में से 1/3–1/3 हिस्सा अर्थात् कुल 2/3 हिस्सा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 01 त्रिलोचन सिंह पुत्र स्व0 गुरबचन सिह का नाम वादीगण के हिस्सा तक कलमजन करके राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत करने पर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन

क कलक्टर एव
ालक इण्डनायक

A2/5

करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 14 सितम्बर, 2022 को जारी किया गया।

मनोज कुमार मीना
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

A-7
1

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री मनोज कुमार मीना , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 043/2022
अन्तर्गत धारा 88,91,188,92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रदीप सिंह पुत्र त्रिलोचन सिह जाति रामगढिया सिख आयु करीब 30 वर्ष निवासी 20 जी जी तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
गुरप्रीत सिंह पुत्र त्रिलोचन सिंह जाति रामगढिया सिख आयु करीब 27 वर्ष निवासी 20 जी जी तह0 व जिला श्रीगंगानगर। ....**वादीगण**

ब ना म

त्रिलोचन सिंह पुत्र स्व0 गुरबचन सिह जाति रामगढिया आयु करीब 63 वर्ष निवासी 20 जी जी तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
रणजीत कौर पुत्री त्रिलोचन सिह पत्नी सतनाम सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 20 जी जी तह0 व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद धरंगावाली तह0 करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
परमजीत कौर पुत्री त्रिलोचन सिह, पत्नी अंग्रेज सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 20 जी जी तह0 व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद पीलीबंगा तह0 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
चरणजीत कौर पुत्री त्रिलोचन सिह, पत्नी हरविन्द्र सिह जाति रामगढिया निवासी चक 20 जी जी तह0 व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी 35 आर बी तह0 पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर। ...**प्रतिवादीगण**

उपस्थित–	श्री रणजीत सारडीवाल	(वादीगण)
	श्री अरविन्द जाखड़	(प्रतिवादी 1–4)
	श्री राज पैरोकार	(प्रतिवादी 5)

दिनांक 14 सितम्बर, 2022

वादपत्र संख्या 043/2022
अन्तर्गत धारा 88,91,188,92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण
अधिवक्ता श्री रणजीत सारडीवाल व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 अधिवक्ता श्री अरविन्द
जाखड़ पैरोकार राज प्रतिवादी–5 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –
वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण
स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 त्रिलोचन सिंह पुत्र स्व0 गुरबचन सिह के
नाम दर्ज भूमि चक 1 एल एल के खाता सं0 9/10 के मुरब्बा नं0 4 में 5.857 है0
नहरी, मुरब्बा नं0 5 में 2.213 है0 नहरी कुल रकबा 8.070 है0 नहरी भूमि में 1/3
हिस्सा (अर्थात् 0.366 है0) तथा खाता संख्या 69/51 के मुरब्बा नं0 4 में 0.468 है0
नहरी भूमि तथा मुरब्बा नं0 5 में 2.744 है0 नहरी अर्थात् कुल रकबा 3.212 है0 नहरी
भूमि में हिस्सा 183/1606 (अर्थात् 0.366 है0) में से 1/3–1/3 हिस्सा अर्थात् कुल
1/3 हिस्सा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि में से
प्रतिवादी संख्या 01 त्रिलोचन सिंह पुत्र स्व0 गुरबचन सिह का नाम वादीगण के हिस्सा

कलक्टर एव
क दण्डनायक

A7
2

क .कलमजन करके राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है। अतः डिकी जारी की
जाती है।
रुपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर
वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें
रे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 14 सितम्बर, 2022 को जारी की
गयी.

मनोज कुमार मीना
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

मनोज कुमार मीना
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर